


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2014/ ज्येष्ठ 9, 1936

No. 289]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2014/JYAISTHA 9, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 22 मई, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 370(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (समय समय पर यथा संशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) इन विनियमों के उपबंध इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 12 में संशोधन

विनियम 12 में, उप-विनियम (iv) के बाद निम्नलिखित अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात :-

“(v) कोई व्यक्ति जो अनिवासी निवेशक है, ऐसी कंपनी का जो भारत में पंजीकृत है तथा जो भारत में किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/जों में सूचीबद्ध है (निवासी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी) उक्त कंपनी के शेयरों को निवासी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के वास्तविक (bonafide) व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण सुविधाओं की प्राप्ति हेतु भारत में किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पक्ष में गिरवी रख सकता है, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस संबंध में, समय-समय पर, रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के बाबत स्वयं संतुष्ट हो।”

[सं. फेमा. 3052014-आरबी]

सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:-

मूल विनियमावली 8 मई 2000 के जी.एस.आर.संख्या 406 (अ) द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी:-

- सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
- सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
- सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
- सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
- सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
- सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
- सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
- सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
- सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
- सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
- सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
- सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
- सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
- सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
- सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
- सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
- सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
- सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005

- सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010
सा.का.नि. सं. 821 (अ) दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 606 (अ) दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 795 (अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 797 (अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 945 (अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 946 (अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 38 (अ) दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 515 (अ) दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 532 (अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 344 (अ) दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 195 (अ) दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 393 (अ) दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 591 (अ) दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 596 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 597 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 681 (अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 682 (अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 805 (अ) दिनांक 30.12.2013
सा.का.नि. सं. 818 (अ) दिनांक 31.12.2013
सा.का.नि. सं. 683 (अ) दिनांक 11.10.2013

- सा.का.नि. सं. 189 (अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 190 (अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 270 (अ) दिनांक 07.04.2014

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd May, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20 / 2000-RB dated 3rd May 2000, amended from time to time), namely:-

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) The provisions of these Regulations shall come into force from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 12

In Regulation 12, after sub-regulation (iv), the following shall be inserted, namely:

“(v) Any person being a non-resident investor of a company registered in India and listed on a recognised stock exchange/s in India (resident investee company), may pledge the shares of that company, in favour of a Non-Banking Financial Company in India, to secure the credit facilities being extended to that resident investee company for bonafide business purposes, subject to the AD bank satisfying itself of the compliance of the conditions stipulated by the Reserve Bank, from time to time, in this regard.”

[No. FEMA. 305/2014-RB]

C.D.SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under :

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No.821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No.945(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013,
G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013,
G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013,
G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014